



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221124
CG-DL-E-13082020-221124

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2416]
No. 2416]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ. 2722(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1650 (अ) तारीख 22.06.2015 द्वारा भारत के सरकारी राजपत्र में और अनुसूचित के कॉलम नं.2 (क) में उल्लिखित अधिकारी को अधिकृत किया गया था केंद्र सरकार ने बाद में संलग्न किया और आंशिक रूप से संशोधन और परिवर्धन किया गया है और अधिसूचना संख्या का. आ. 1286 (अ) तारीख 01.04.2016 इस द्वारा सक्षम प्राधिकारी उप भागीय अधिकारी औसा रेनापुर, लातूर अहमदपुर, जिला नांदेड के सक्षम प्राधिकारी उप भागीय अधिकारी कंधार नांदेड हदगांव और जिला हिंगोली के कलमनूरी उप-विभागीय अधिकारी को उनके अधिकार क्षेत्र में आने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

जबकि जिला कलेक्टर, लातूर ने अपने पत्र क्रमांक 395 दिनांक.28.05.2020 द्वारा यह अनुरोध किया है कि सक्षम प्राधिकारी उप भागीय अधिकारी अहमदपुर कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में छावनी क्षेत्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। चाकुर और अहमदपुर तालुका में, अहमदपुर राजस्व उप प्रभाग में पीने के पानी की कमी और जमीन के मुआवजे का भारी भुगतान अभी भी उपरोक्त कारणों के मद्देनजर किया जाना बाकी है, जिला अधिकारी लातूर ने उपजिलाधिकारी भूसंपादन (पूर्ण प्रकल्प) जिलाधिकारी कार्यालय लातूर की सिफारिश की है इसलिए सक्षम प्राधिकारी उप भागीय अधिकारी,

अहमदपुर क्षेत्र के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में, 3(क) की अधिसूचना संख्या का. आ.1286 तारीख 01.04.2016 प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना में संशोधन प्रस्तावित है।

i) जिला “लातूर” से संबंधित तालुका “चाकुर एवम अहमदपुर” क्रम संख्या. 1 कॉलम नं. 2 (क) उप उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अहमदपुर के स्थान पर उप जिलाधिकारी भूसंपादन (पुर्णा प्रकल्प) जिलाधिकारी कार्यालय लातूर अंतःस्थपित की जाएगी।

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ.1650 (अ) तारीख 22.06.2015 द्वारा भारत के राजपत्र, प्रकाशित की गई थी और संशोधन 3 (क) भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ.1286 (अ) तारीख 01.4.2016।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपजिलाधिकारी भूसंपादन (पुर्णा प्रकल्प) जिलाधिकारी कार्यालय लातूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH361 New के कि.मी. 114.6 से 187.8 तक	महाराष्ट्र	लातूर	अहमदपुर	1राळगा
						2सांगवी (सुनेगांव)
						3रुध्दा
						4सुनेगांव (सांगवी)
						5गुगदल
						6शेनी
						7मरशिवणी (तांडा)
						8मालेगांव (खु)
						9तळेगांव
						10थोरलेवाडी
						11महादेववाडी
						12तेलगांव
						13अजनी खुर्द
						14शिरुर (ताजबंद)
						15चापोली
						16उमरगा येलादेवी
						17चोबली

						18	अहमदपुर
					चाकुर	1	होनाली
						2	चापोली
						3	अलगरवाडी

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2722(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) Section 3 of the National Highways Act, 1956 the Central Government had published 3(a) notification vide S.O. No.1650 dated.22.06.2015 in Government Gazette of India and authorize the officer mentioned in Colum No.2 of the scheduled annexed thereto subsequently the Central Government has partially amendment and addition made in the 3 (a) notification published in Government gazette of India vide S.O.No.1286 dated.01.04.2016 and authorize Sub Divisional Officer AUSA Renapur, Latur ,Ahmadpur, of district Latur, Kandhar Nanded Hadgaon of District Nanded & Sub-Divisional Officers Kalamnuri of District Hingoli have been appointed as competent Authority for land acquisition to the extent to their jurisdiction stretch.

Whereas the District Collector, Latur has requested vide its Letter No. 395 dated.28.05.2020 that the Sub Divisional Officer Ahmadpur services are required for setting cantonment zones in the corona affected areas of Chakur and Ahmadpur Taluka, also Drinking water scarcity in Ahmadpur Revenue Sub Division and huge payment of land compensation is yet to be paid in view of above reasons the Collector Latur has recommended the Dy-Collector of Land Acquisition (Purna Project) District Collector's Office Latur as a Competent Authority for Sub Division office, Ahmadpur area stretch, hence following amendment proposed in the 3(a) published Gazette notification vide S.O.No.1286 in Government of India on 01.04.2016.

i) Against Serial number 1 relating to district "Latur" against Taluka "Chakur and Ahmadpur" in Colum No.2 (a) instead of word the Competent Authority Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer Ahmadpur the word Deputy Collector , Land Acquisition (Purna Project), District Collector's Office Latur shall be substituted.

Footnote : The principal Notification was published in Government of India Vide S.O. No 1650 (E) Dated.22.06.2015 and amendment 3(a) notification published in the Gazette of India vide S.O.No.1286(E) dated.01.04.2016.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Deputy Collector of Land Acquisition (Purna Project), District Collector's	114.6KM To 187.8KM	MAHARASHTRA	Latur	Ahmadpur	1	Ralga
						2	Sangavi (Sunegaon)
						3	Rudha
						4	Sunegaon (sangvi)
						5	Gugdhal

Office Latur						6	Shenni
						7	Marshivani
						8	Malegaon (Kh)
						9	Talegaon
						10	Thoralewadi
						11	Mahadevwadi
						12	Telgaon
						13	Ajani Khurd
						14	Shirur Tajband
						15	Chapoli
						16	Umarga Yelladevi
						17	Chobli
						18	Ahmadpur
	Chakur					1	Honali
						2	Chapoli
						3	Algarwadi

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.